



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं०. 8बी/एच.पी./06/11/2021/एफ.सी. 112

दिनांक: 18/08/2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
वन विभाग, टालैण्ड, शिमला।

विषय: Diversion of 3.00 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of link road from Chandni to Badoh via Bhatoli (Kms. 0/00 to 6/223) within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/47653/2020).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-5070/2020 (एफ.सी.ए.) दिनांक 05.08.2021

महोदय,

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 7 का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतः राज्य सरकार संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 7 के उत्तर पर पुनः विचार कर निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवायें:-

- 1) इस कार्यालय पत्रांक 8बी./एच.पी./06/11/2021/एफ.सी./187 दिनांक 26.02.2021 के क्रम संख्या 7 के जवाब में राज्य सरकार द्वारा Broken area 1.71 hac. बताया गया है, जबकि Penal NPV calculation 1.44 hac. पर की गई है। इसके अतिरिक्त online portal के Part-II (i) (c) में violated area 1.44 hac. दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार संशोधित Penal NPV calculation इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा साथ ही Broken area की सही जानकारी online portal Part-II के Para 11 में अंकित करें।
- 2) मुख्य वन संरक्षक (टी.) की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट में भी Broken area 1.44 hac. दर्शाया गया है। इसे भी पुनः जांच कर संशोधित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी. सी. नौटियाल)
उप महानिरीक्षक (वन)